



2881

दस्तावेज़ - 2205709
2286710

नव घोला कैन्स, 10 अंडोक नार्म, लखनऊ-220001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 2127/36/76/एक/2015-16
रोवा में,

दिनांक : 26 अगस्त 2015

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-कौशाम्बी।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (दूडा) को आसरा योजनान्तर्गत स्वीकृत परियोजना की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को आसरा योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रु0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
फ्रेश नेशनल बैंक	4869000100033152	IFSC Code PNNB0486900	✓ 274.330 (धनराशि लाख रु0 में)

क्र0रां0	जनपद/ निकाय का नाम	अनुदान संख्या	आवासों की संख्या	किश्त संख्या	अवमुक्त धनराशि
1	कौशाम्बी/सिराथु योग	37	192	I	✓ 274.330 ✓ 274.330

उपरोक्तानुसार अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों में विनिहित आसरा योजना में प्रत्यावित उपरोक्त आवासों की परियोजनाओं में योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही व्यय किया जाये:-

- उपरोक्त सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप आसरा योजनान्तर्गत स्वीकृत डी0पी0आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रायली में रखा जाये।
- योजनान्तर्गत जो भी कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के राथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय वाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों द्वारा लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करालिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो उपरोक्त शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- उक्त धनराशि दूडा/कार्यदायी संस्था द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिवर्णों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में ही पूर्ण हो जायें, क्योंकि स्वीकृत परियोजना/निर्धारित समय सीमा में कार्यपूर्ण न कराये जाने की दशा में कोई भी मूल्य वृद्धि मान्य नहीं होगी।



२८०
१९८५

दृष्टिकोण - 22
229.

नव घोला केन्द्र 10 अग्रोक गार्ह, लखनऊ-2260
राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 5— प्रश्नमत परियोजना में भुगतान के पूर्ण यथानियम केन्द्र, संघ व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कठौती सम्बन्धी अनिवार्य निश्चिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं नियमण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी हुनिश्चित किया जायेगा।
- 6— सूडा द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपलोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह रवीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्यवहरण अनुमत्य न होगा, अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 7— सूडा द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि सम्बन्धित कार्यदायी रांथा से दूडा द्वारा प्रथम किश्त की प्रेषित धनराशि में उल्लिखित एगोओग्रू (अनुबन्ध) की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी होगी अथवा अनुबन्ध निष्पादित करने के उपरान्त धनराशि कार्यदायी रांथा को अवमुक्त की जाये।
- 8— दूडा द्वारा कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष वाग की गयी धनराशि के अनुरूप रथल पर सम्पादित किये गये कार्य नियांसित मानक के अनुसार गुणवत्तापरक हैं, आदि का अनुश्रवण स्थानीय स्तर पर दूडा के सामाजिक परियोजना अधिकारी/परियोजना अधिकारी के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

भवद्वीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रसिद्धि।

- परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, लाल नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
- निदेशक, सी० एण्ड ली०एर०, लखनऊ जल नियम, लखनऊ।
- श्री संजीव अग्रवाल, सहायक प्रारेत्री अधिकारी, कार्यक्रम अनुपाल, सूडा।
- कम्प्यूटर रोल-सूडा।
- लेखा नियम-सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक